भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2103

20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी लोगो मार्क का प्रारंभ

2103. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सहकारी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांड लाइन सहकारी लोगो मार्क आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पहल में कितना समय लगने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग) : राज्य और बहु-राज्य स्तरों पर सहकारी समितियाँ स्वायत्त आर्थिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं। राज्य स्तर पर सहकारी समितियों का निगमन/पंजीकरण, विनियमन और परिसमापन राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार किया जाता है और बहु-राज्य स्तर पर यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अनुसार केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है।

सहकारी समितियां अपनी सहकारी उपज को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड के रूप में 'लोगो' को अपना सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ अनुसूचित (MSCS अधिनियम 2002 की अनुसूची ॥ के तहत) सहकारी समितियां जैसे इफको, कृभको आदि का अपना 'लोगो' है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय में एक अलग सहकारी 'लोगो' चिह्न शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****